न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी

पीठासीन अधिकारी–श्री राजेन्द्रसिंह चारण (आर.ए.एस.)

1. पंचायत निगरानी सं. 111/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राज्य सरकार जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति–देचू जिला–जोधपुर		1. ग्राम पंचायत मण्डलाकलां जरिये सरपंच वगैरा 2. श्रीमति बीरा पत्नि रामसुख निवासी–मण्डलाकलां तहसील–लोहावट

पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल सं. 188 पट्टा सं. 20 दिनांक 7–10–2014

2. पंचायत निगरानी सं. 114/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राज्य सरकार जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति–देचू जिला–जोधपुर		1. ग्राम पंचायत मण्डलाकलां जरिये सरपंच 2. राणाराम पुत्र अमलूराम निवासी–मण्डलाकलां तहसील–लोहावट

पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल सं. 290 पट्टा सं. 35 दिनांक 7–10–2014

3. पंचायत निगरानी सं. 115/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राज्य सरकार जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति–देचू जिला–जोधपुर		1. ग्राम पंचायत मण्डलाकलां जरिये सरपंच 2. महीराम पुत्र सुरताराम निवासी–मण्डलाकलां तहसील–लोहावट

पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल सं. 291 पट्टा सं. 36 दिनांक 7–10–2014

4. पंचायत निगरानी सं. 116/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राज्य सरकार जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति–देचू जिला–जोधपुर		1. ग्राम पंचायत मण्डलाकलां जरिये सरपंच 2. हनुमानराम पुत्र हरदासराम निवासी–मण्डलाकलां तहसील–लोहावट

पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल सं. 292 पट्टा सं. 37 दिनांक 7–10–2014

5. पंचायत निगरानी सं. 117/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राज्य सरकार जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति–देचू		1. ग्राम पंचायत मण्डलाकलां जरिये सरपंच 2. श्रीमती समदी/बंशीलाल

Scanned by CamScanner

जिला–जोधपुर निवासी–मण्डलाकलां तहसील–लोहावट

पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल सं. 29 पट्टा सं. 46 दिनांक 7–10–2014

6. पंचायत निगरानी सं. 121/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राज्य सरकार जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति–देचू जिला–जोधपुर		1. ग्राम पंचायत मण्डलाकलां जरिये सरपंच 2. मोहनराम पुत्र हरीगांराम निवासी–मण्डलाकलां तहसील–लोहावट

पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल सं. 96 पट्टा सं. 55 दिनांक 7–10–2014

7. पंचायत निगरानी सं. 122/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राज्य सरकार जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति–देचू जिला–जोधपुर		1. ग्राम पंचायत मण्डलाकलां जरिये सरपंच 2. चैनाराम पुत्र रामलाल निवासी–मण्डलाकलां तहसील–लोहावट

पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल सं. 85 पट्टा सं. 54 दिनांक 7–10–2014

8. पंचायत निगरानी सं. 123/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राज्य सरकार जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति–देचू जिला–जोधपुर		1. ग्राम पंचायत मण्डलाकलां जरिये सरपंच 2. श्रीमती इमरतकंवर/रतनसिंह निवासी–मण्डलाकलां तहसील–लोहावट

पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल सं. 239 पट्टा सं. 37 दिनांक 7–10–2014

9. पंचायत निगरानी सं. 124/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राज्य सरकार जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति–देचू जिला–जोधपुर		1. ग्राम पंचायत मण्डलाकलां जरिये सरपंच 2. श्रीमती मांगी/सोनाराम निवासी–मण्डलाकलां तहसील–लोहावट

पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल सं. 227 पट्टा सं. 45 दिनांक 7–10–2014

10. पंचायत निगरानी सं. 126/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राज्य सरकार जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति–देचू		1. ग्राम पंचायत मण्डलाकलां जरिये सरपंच 2. मुलतानाराम पुत्र बीरबलराम

Scanned by CamScanner

जिला–जोधपुर

निवासी–मण्डलाकलां तहसील–लोहावट

पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल सं. 246 पट्टा सं. 48 दिनांक 7–10–2014

11. पंचायत निगरानी सं. 129 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राज्य सरकार जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति–देचू जिला–जोधपुर		1. ग्राम पंचायत मण्डलाकलां जरिये सरपंच 2. पेंपसिंह / बैरीसालसिंह निवासी–मण्डलाकलां तहसील–लोहावट

पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल सं. 118 पट्टा सं. 01 दिनांक 7–10–2014

12. पंचायत निगरानी सं. 130 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राज्य सरकार जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति–देचू जिला–जोधपुर		1. ग्राम पंचायत मण्डलाकलां जरिये सरपंच 2. श्रीमती चनणी / हरभजराम निवासी–मण्डलाकलां तहसील–लोहावट

पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल सं. 62 पट्टा सं. 04 दिनांक 7–10–2014

13. पंचायत निगरानी सं. 133 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राज्य सरकार जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति–देचू जिला–जोधपुर		1. ग्राम पंचायत मण्डलाकलां जरिये सरपंच 2. श्रीमती सायरी / पूनाराम निवासी–मण्डलाकलां तहसील–लोहावट

पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल सं. 121 पट्टा सं. 28 दिनांक 7–10–2014

14. पंचायत निगरानी सं. 136 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राज्य सरकार जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति–देचू जिला–जोधपुर		1. ग्राम पंचायत मण्डलाकलां जरिये सरपंच 2. श्रीमती गीतादेवी / दुर्गाराम निवासी–डेडिया तहसील–लोहावट

पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल सं. 274 पट्टा सं. 19 दिनांक 7–10–2014

15. पंचायत निगरानी सं. 137 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राज्य सरकार जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति–देचू जिला–जोधपुर		1. ग्राम पंचायत मण्डलाकलां जरिये सरपंच 2. लूणाराम / पीथाराम निवासी–मण्डलाकलां तहसील–लोहावट

Scanned by CamScanner

पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल सं. 305 पट्टा सं. 73 दिनांक 7–10–2014

16. पंचायत निगरानी सं. 138 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राज्य सरकार जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति–देचू जिला–जोधपुर		1. ग्राम पंचायत मण्डलाकलां जरिये सरपंच 2. अमलखराम / फूसाराम निवासी–मण्डलाकलां तहसील–लोहावट

पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल सं. 294 पट्टा सं. 39 दिनांक 7–10–2014

17. पंचायत निगरानी सं. 139 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राज्य सरकार जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति–देचू जिला–जोधपुर		1. ग्राम पंचायत मण्डलाकलां जरिये सरपंच 2. धीमाराम / सुरताराम निवासी–मण्डलाकलां तहसील–लोहावट

पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल सं. 295 पट्टा सं. 40 दिनांक 7–10–2014

18. पंचायत निगरानी सं. 144 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राज्य सरकार जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति–देचू जिला–जोधपुर		1. ग्राम पंचायत मण्डलाकलां जरिये सरपंच 2. श्रीमती सुशीला / ओमाराम निवासी–मण्डलाकलां तहसील–लोहावट

पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल सं. 28 पट्टा सं. 72 दिनांक 7–10–2014

19. पंचायत निगरानी सं. 146 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राज्य सरकार जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति–देचू जिला–जोधपुर		1. ग्राम पंचायत मण्डलाकलां जरिये सरपंच 2. सुमेरसिंह / बागसिंह निवासी–मण्डलाकलां तहसील–लोहावट

पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल सं. 285 पट्टा सं. 30 दिनांक 7–10–2014

20. पंचायत निगरानी सं. 150 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राज्य सरकार जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति–देचू जिला–जोधपुर		1. ग्राम पंचायत मण्डलाकलां जरिये सरपंच 2. बुधाराम / सुरताराम निवासी–मण्डलाकलां तहसील–लोहावट

पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल सं. 289 पट्टा सं. 34 दिनांक 7–10–2014

Scanned by CamScanner

उपस्थित :–
1. श्री समन्दरसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री महिपालसिंह चौहान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक 31/5/2019

उपरोक्त निगरानी प्रार्थना पत्रों में समान तथ्य होने से इनका निम्नानुसार निर्णय किया जा रहा है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्रों का सारांश इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत मण्डलाकलां द्वारा वर्ष 2014 में विधि विरूद्ध जारी 307 पट्टों (विक्रय विलेखों) की शिकायत होने पर जांच की गई जांच में जारी पट्टे पंचायती राज आबादी भूमि व्ययन हेतू राज्य सरकार द्वारा बनाये गये राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों के उल्लंघन, भारी अनियमितताऐं, नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी में पाये गये है जांच रिपोर्ट के आधार पर श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर के पत्रांक 4252 दिनांक 8–11–2016 एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी के पत्रांक 795 दिनांक 4–7–2016 द्वारा प्रार्थी को वर्ष 2014 में जारी पट्टों के विरूद्ध निगरानी/रेफरेन्स सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेशों की पालना में विधि विरूद्ध जारी पट्टों को निरस्त करने हेतु निगरानी प्रस्तुत की जा रही है पंचायती राज अधिनियम एवं नियमों एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार के अन्तर्गत विकास अधिकारी को ग्राम पंचायत के निरीक्षण, मॉनिटरिंग एवं नियंत्रण की शक्तियां एवं अधिकार प्रदत्त है इस प्रकार मैं हितबद्ध व्यक्ति होने से प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है, ग्राम पंचायत को आबादी भूमि में पट्टे जारी से पूर्व आबादी भूमि एवं अन्य सार्वजनिक अचल सम्पति की पैमाइश करा, पत्थरगढी कर आबादी भूमि में स्थित पुराने गृहों का सर्वे कर माप सहित करवा उसको विपेज प्लान में दर्शाना जाना है तथा अस्थाई अतिक्रमण को हटाया जाकर शेष खाली भूमि का सड़क रेखा को ध्यान में प्लान तैयार किया जाना था इस हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के 142 एवं विलेज मास्टर प्लान तैयार करने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक 540 दिनांक 29–06–2011 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है, ग्राम की वार्ड सभा एवं तदोपरान्त पंचायत मुख्यालय पर बैठकों का आयोजन जिसमें पंचायत सदस्यों एवं प्रतिष्ठित ग्रामवासियों को आमंत्रित कर खसरा नक्शों पर तकनीकी अधिकारियों के मार्गदर्शन में विलेज प्लान तैयार किया जाना है उक्त प्लान में गांव में उपलब्ध भौतिक सुविधाऐं जैसे विद्यालय, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप केन्द्र, आंगनवाड़ी भवन, पटवार भवन, डाक, बैंक, विद्युत ग्रिड स्टेशन, पम्पिंग स्टेशन, पुलिस थाना, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान, स्मारक, बावड़ी, कुए, पनघट, नदी, नाले एवं गांव में विद्यमान अन्य सार्वजनिक भवन एवं भविष्य के लिए प्रस्तावित अन्य सार्वजनिक गतिविधियों हेतु भूमि को विद्यमान नक्शे पर सिम्बल द्वारा अंकित किया जाकर खाली भूमि पर आवासीय एवं वाणिज्यिक स्कीमें तैयार की जानी है। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित प्लान को पंचायत समिति स्तर पर अधिकारियों की समिति से नियमानुसार परीक्षण एक माह का आपत्ति नोटिस जारी कर, प्राप्त उजर/एतराज का समुचित निस्तारण कर विलेज प्लान सक्षम स्तर से अंतिम अनुमोदन करवाया जाना एवं बाद प्लान अनुमोदन साईट एवं ग्राम पंचायत के सहज दृश्य स्थानों पर साईन बोर्ड पर प्लान को डिस्प्ले करवाया जाना है प्लान अनुसार प्रत्येक प्लॉट/भूखण्ड/मकान का सीमांकन कर पत्थरगढी करा ऑयल पेन्ट से पीलरों पर नम्बरिंग की जानी है, परन्तु ग्राम पंचायत मण्डलाकलां द्वारा गांव मण्डलाकलां में रामदेवनगर कॉलोनी, श्री कृष्णनगर कॉलोनी के साईड प्लान में उपरोक्त कार्यवाही नहीं की गई है तथा न ही प्लान सक्षम स्तर से अनुमोदित करवाया है अम्बेडकर नगर, विष्णुनगर एवं सुभाषनगर के नक्शे पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में अपनी मनमर्जी से प्लान बनाकर नियमों का उल्लंघन कर पट्टा जारी

Scanned by CamScanner

किया है जो समस्त कार्यवाही विधि विरूद्ध होने से काबिल निरस्त योग्य है, राजस्थान पंचायती राज नियम 141 में यह प्रावधान है कि आबादी भूमि के सभी विक्रय पंचायत द्वारा निलामी के माध्यम से किये जावे जब तक कि ऐसा न करने का कोई विशेष कारण न हो ग्राम पंचायत मण्डलाकलां नेशनल हाईवे नं. 114 पर स्थित है तथा गांव कृषि सिंचित क्षेत्र है जिससे उक्त ग्राम साधन सम्पन्न क्षेत्र की श्रेणी में आता है ग्राम पंचायत द्वारा जारी सभी 307 पट्टे नियमन, रियायती दर पर आवंटन, निःशुल्क आवंटित किये है निलामी के माध्यम से भूखण्ड विक्रय नहीं किया है जो अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उक्त नियम का स्पष्ट उल्लंघन कर पट्टा जारी किया है जो समस्त कार्यवाही विधि विरूद्ध होने से काबिल निरस्त योग्य है, मिसल पत्रावली में आवेदन पत्र के साथ अप्रार्थी सं. 2 द्वारा आवेदन शुल्क, मौका निरीक्षण शुल्क, नक्शा फीस, भूमि किस्म प्रमाण पत्र, भूमि आवंटन/विनिमितीकरण सम्बंधी कार्य अर्द्धन्यायिक प्रकृति का होने से 10 रूपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प अपने आवेदन के समर्थन में उम्र सम्बंधी दस्तावेज, निवास का प्रमाण, मौके फोटो, बिजली, पानी के बिल, हक–हकूक एवं अन्य साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है तथा न ही बाद में किसी भी कार्यवाही में दस्तावेज प्रस्तुत किये है। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 2 ने आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं कर मिलावटी/फर्जी तरीके से पट्टा प्राप्त किया है जो समस्त कार्यवाही विधि विरूद्ध होने से काबिल निरस्त योग्य है, मिसल पत्रावली में संलग्न नक्शा संलग्न बनाने वाले का नाम, पता एवं पदनाम अंकित नहीं है एवं नक्शा बनाने की तारीख अंकित नहीं है उक्त नक्शे का मौका निरीक्षण कमेटी एवं सचिव द्वारा सत्यापन/जांच नहीं की गई है मौके पर कॉलोनियों एवं प्लॉट का सीमांकन हेतु पत्थरगढी एवं प्लोट की मार्किंग पत्थर नहीं होने तथा न ही पेन्ट से प्लोट की नम्बरिंग की हुई है इसके बिना स्थल नक्शा तैयार किया जाना संदेहजनक है इस प्रकार सम्पूर्ण प्रक्रिया ही अप्रार्थी सं. एक द्वारा अप्रार्थी सं. 2 से मिलीभगत कर विधि विरूद्ध तरीके से की गई है जो निरस्तनीय है मिसल पत्रावली के संलग्न मौका निरीक्षण रिपोर्ट केवल कागजी कार्यवाही पूर्ति हेतु बिना मौका देखे तैयार की गई है मौके की स्थिति एवं आस पड़ौस के बारे में कोई तथ्य नहीं बताये गये है मौका निरीक्षण रिपोर्ट पूर्णतः स्पष्ट एवं सभी सुसंगत तथ्यों का समावेश एवं दस्तावेजों का संकलन कर बिन्दुवार मौके की रिपोर्ट मय अनुशंषा सहित प्रस्तुत नहीं किये है निरीक्षण रिपोर्ट में प्रार्थी की जाति, उम्र, वर्ग, बीपीएल में होने का उल्लेख, श्रेणी, पट्टा जारी करने का आधार, नियम, उपनियम का प्रस्तावीकरण, आवंटन विनियमितीकरण करने की नियमों के प्रावधानों के अनुरूप शर्तों को पूरा करता है अथवा नहीं आदि सम्बंध में कोई रिपोर्ट अंकित/प्रस्तुत नहीं की है निरीक्षण प्रपत्र में बिन्दु क से घ तक के बिन्दुओं का उल्लंघन नहीं होने की रिपोर्टिंग की हुई है क से घ तक के बिन्दु क्या है इसका कोई उल्लेख नहीं है अप्रार्थी सं. 1 द्वारा वार्डपंचों की मौका निरीक्षण की आधी अधूरी एवं अस्पष्ट प्रकृति रिपोर्ट को स्वीकार किया है जो विधि के अनुकूल नहीं है अप्रार्थी सं. 1 ने अप्रार्थी सं. 2 को व्यक्तिगत लाभ देने के लिए मिलीभगत की है, अपूर्ण एवं अस्पष्ट निरीक्षण रिपोर्ट पर पंचायत बैठक में बिना विस्तृत चर्चा किये आवंटन/विनियमन का राजस्थान पंचायती राज नियम 148 (1) के तहत अन्तिम विनिश्चय किये बगैर अप्रार्थी सं. 1 ने उक्त मिसल पत्रावली में उजरदारी नोटिस जारी किया है जो विधि एवं नियमों के अनुकूल नहीं है ग्राम पंचायत कार्यवाही में भी अन्तिम विनिश्चय का उल्लेख नहीं है कि आवंटन किया जावे या नहीं, उजरदारी नोटिस जारी एवं प्रकाशन की पूर्ण विधि राजस्थान पंचायती राज नियम 148 में वर्णित है पंचायत बैठक दिनांक 21–07–2014 के प्रस्ताव सं. 4 में 308 पत्रावलीयों के उजरदारी नोटिस जारी करने का उल्लेख है, जबकि आवेदन प्राप्ति रजिस्टर (मिसल इन्द्राज रजिस्टर) में 307 आवेदनों का ही इन्द्राज है इस प्रकार 307 आवेदनों के विरूद्ध 308 के उजरदारी नोटिस जारी किया जाना अपने आप में स्वतः ही अप्रार्थी सं. 1 द्वारा बोगस कार्यवाही करने की ओर इशारा करता है उजरदारी नोटिस का प्रावधान आज्ञापक है पत्रावली में संलग्न उजरदारी नोटिस का अवलोकन किया गया उजरदारी नोटिस किसने पंचायत से प्राप्त किये,

Scanned by CamScanner

कब प्राप्त किये, उजरदारी नोटिस कब, किस दिनांक को किसके सामने कहां चस्पा किया तथा किस रीति से चस्पा किया, बाद चस्पानगी किसने कब लौटाये है का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है नोटिस जिसके सामने चस्पा किया वह व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति है या नहीं ? मिसल पत्रावली में नोटिस के पीछे 1 या 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाने मात्र से ही नोटिस चस्पानगी की पूर्ण पालना नहीं हो जाती है उजरदारी नोटिस प्रस्तावित स्थल पर किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा किया जाना आवश्यक है मौके पर जमीन खाली है तथा कॉलोनी/प्लोट का कोई बोर्ड अंकित नहीं है तो नोटिस कहां चस्पा किया इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उजरदारी नोटिस जारी प्रकाशन की निर्धारित विधि के अनुरूप कार्यवाही नहीं की है अप्रार्थी सं. 1 द्वारा दिनांक 21–7–2014 को ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित कर कार्यवाही लेखन उपरान्त सभी 307 मिसल पत्रावलीयों में ऑर्डर शीट लिखकर एवं बाद कार्यवाही दो प्रति में उजरदारी नोटिस तैयार कर सरपंच से जारी करा तथा नोटिस को आवंटन/विनियमन के प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करा उसकी सम्यक रसीद तक की सम्पूर्ण कार्यवाही एक दिन में पूरी की है जो संदेहात्मक एवं हास्यास्पद है।

नियम 157 (2) का उद्धरण इस प्रकार है :–

राजस्थान पंचायती राज नियम 158 के अनुसार इस नियम में अनुसूचित जाति, जनजातियों, स्वच्छकार, ... कारीगरों श्रम मजदूरी के आधार पर भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, विधवा महिला, भूतपूर्व सैनिकों, बाढग्रस्त पीड़ित परिवारों को, भेड़पालकों, परित्यक्त महिला, यायावर जनजातियों जैसे बन्जारा, गाडोलिया लोहार, परदिश, जोगी कालबेलिया, जोगी कनपुता जैसी कुल 10 जातियां तथा अर्द्धयायावर जनजातियां (Semi Nomadic) जिसमें रबारी, भोपास, मंगलिया, जंग, सांसी सहित 13 जातियां है जो समाज कल्याण विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 24–2–1964 में दर्ज है जिनके पास स्वयं का गृह या गृहस्थल नहीं है को राज्य सरकार द्वारा 1991 की गांव की जनसंख्या पर आधारित निर्धारित रियायती दरों पर (बीपीएल परिवारों को निःशुल्क) अधिकतम 300 वर्गगज तक भूमि आवंटित कर सकेगी ऐसी भूमि का पट्टा प्रारूप 23 (ग) में जारी किया जायेगा इस नियम के तहत आवंटित 30 प्रतिशत भूमि विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को आवंटित की जायेगी तथा 23 (ग) में जारी पट्टे पर विक्रय के लिए नहीं (Not For Sale) की मोहर लगाई जानी है, मिसल पत्रावली में अप्रार्थी सं. 2 द्वारा पात्रता सम्बंधी एवं कहीं गृह/गृहस्थल नहीं होने का आवेदन के साथ कोई दस्तावेजी साक्ष्य, शपथ पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया है मौका निरीक्षण कमेटी एवं ग्राम पंचायत ने पात्रता सम्बंधी कोई जांच नहीं कर अपनी मनमर्जी से अप्रार्थीगण सं. 1 द्वारा अधिकारिता के बाहर जाकर पट्टे दिये है आवंटन की शर्तों एवं पात्रता को साबित करने की जिम्मेदारी अप्रार्थी सं. 2 की है ग्राम पंचायत के प्रस्ताव रजिस्टर में भी पात्रता सम्बंधी कोई कार्यवाही अंकित नहीं है अप्रार्थी सं. 1 द्वारा पात्रता सम्बंधी जांच नहीं की है जिससे ग्राम पंचायत का आवंटन नियमानुसार नहीं है जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं. 2 इस नियम के तहत पट्टा प्राप्त करने का पात्र नहीं था एवं अप्रार्थी सं. 2 ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये बिना मिलीभगत कर विहित नियमों के विपरीत भूमि रियायती/निःशुल्क दर पर प्राप्त की है जिससे अप्रार्थी सं. 2 का पट्टा न्यायसंगत नहीं है पट्टे की कार्यालय प्रति पर विक्रय के लिए नहीं की मोहर अंकित नहीं है जिससे अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जानबूझकर अप्रार्थी सं. 2 को नाजायज फायदा पहुंचाने एवं आगे भविष्य में धोखे से बेच सकने के कृत्य में मदद करने का प्रयास किया है रिकार्ड अवलोकन में विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को 30 प्रतिशत भूमि आवंटित किये जाने के दस्तावेज नहीं पाये गये है जिससे सिद्ध होता है कि उक्त श्रेणी की महिलाओं को निर्धारित भूमि का आवंटन नहीं किया

Scanned by CamScanner

गया है रिकार्ड में ऐसी कोई सामग्री (दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत) नहीं पाई गयी जिसके आधार पर पट्टा जारी का दावा न्यायसंगत प्रतीत हो, ग्राम पंचायत मण्डलाकलां द्वारा जांच में 7 वार्डपंचों एवं उनके नजदीकी रिश्तेदारों एवं तत्कालीन सरपंच ने अपनी पुत्री को पट्टा जारी किया है जिसमें दो वार्डपंच मौका निरीक्षण समिति के सदस्य भी है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 48 में स्पष्ट प्रावधित है कि धनीय या निजी हित या उस प्रभाव का कोई प्रस्ताव होने पर पंचायत बैठक में भाग नहीं लेना होता है, परन्तु वार्डपंचों ने न केवल बैठक में भाग लिया, वरन पट्टा जारी की सम्पूर्ण कार्यवाही में भी हिस्सा लिया है एवं पंचायत बोर्ड में अपने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अनियमित प्रस्ताव पारित करवाये है जिससे विक्रय विलेख सम्बंधी सम्पूर्ण कार्यवाही दुषित हुई है साथ ही 307 जारी पट्टों में लगभग 218 व्यक्ति एक ही समाज (विश्नोई) के है, एवं सरपंच भी इसी वर्ग की है जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपने चहेतों एवं नाती रिश्तेदारों को अवैध तरीके से लाभ दिया है अप्रार्थी सं. 1 द्वारा खेतीहर मजदूर, लघु एवं सीमान्त कृषकों की सूची जो मिसल पत्रावली में संलग्न है को आधार मानकर रियायती/निःशुल्क पट्टे जारी किये है उक्त सूची सत्यापन हेतु तहसीलदार लोहावट को भेजी गई सत्यापन में 270 व्यक्तियों में 20 लघु कृषक एवं 28 सीमान्त कृषक पाये गये है जिससे उक्त सूची अपने आप में स्वतः ही संदिग्ध है, ग्राम पंचायत में पट्टे जारी सम्बंधी अलग–अलग बैठकों में प्रस्ताव लिखित है उन प्रस्तावों की हैण्डराईटिंग अन्य प्रस्तावों से मेल नहीं खाते है उक्त प्रस्ताव अलग–अलग पेन एवं अलग–अलग हैण्डराईटिंग से लिखे गये है जो सम्भवतः बाद में जोड़े/लिखे गये है प्रस्तावों के अवलोकन में प्रस्ताव अस्पष्ट अपूर्ण एवं कारणों सहित विस्तृत ब्यौरा नहीं लिखा है ग्राम पंचायत की मीटिंग दिनांक 05–06–2014 में मौका निरीक्षण कमेटी का गठन किया जाना लिखित है, जबकि आज्ञाओं की सूची में सरपंच ने दिनांक 05–07–2014 को कमेटी होने का लिखा है ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05–06–2014 में यह उल्लेखित किया कि नियम 145 के तहत नियमानुसार राशि प्राप्त कर आवेदन रजिस्टर किया जावे एवं कमेटी गठन कर निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये, जबकि नियम 145 के तहत शुल्क नहीं लेकर इन्द्राज किया है साथ ही आज्ञाओं की सूची में दिनांक 05–07–2014 को सरपंच ने पंचों को रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा है, नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि कर दिये जाने के एक माह की अपील अवधि निर्धारित है प्रश्नगत विक्रय विलेख दिनांक 20–09–2014 को पंचायत कार्यवाही में अस्पष्ट है, परन्तु प्रस्ताव अवलोकन में यह स्थाई निर्णय/पुष्टिकरण निर्णय प्रतीत नहीं होता है नियमानुसार दिनांक 20–10–2014 के बाद विक्रय विलेख जारी किया जाना था, परन्तु अप्रार्थी सं. 1 द्वारा दिनांक 7–10–2014 को अपील अवधि में पट्टे जारी कर दिये है इस प्रकार अपील अवधि में जारी पट्टे अपीलीय प्रावधानों को नजरअंदाज कर जारी किये है अपील योग्य आदेश की प्रति सक्षम अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत करनी अनिवार्य है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसकी प्रति प्रस्तुत नहीं की है जो विधि के अनुकूल नहीं है पट्टे जारी के बाद उसकी एक प्रति पंचायत समिति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होती है, परन्तु पट्टे की प्रति अप्रार्थी सं. 1 द्वारा पंचायत समिति में जमा नहीं करवाई है विक्रय विलेख (पट्टा बुक) पंचायत समिति द्वारा मुद्रित करा उसका रिकार्ड संधारण कर ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई जानी है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं अपने स्तर पर पट्टा बुक बाजार से खरीदकर सीधी उपयोग में ली है जिसका पंचायत समिति कार्यालय में कोई रिकार्ड संधारण नहीं है इस प्रकार उन्होनें उच्चाधिकारियों को धोखे में रखकर नियम विरूद्ध कृत्य किया है, विभाग द्वारा दिनांक 01–11–2014 द्वारा यह निर्देशित किया कि दिनांक 30–10–2014 तक जारी पट्टा का प्रमाणीकरण विकास अधिकारी द्वारा किया जावे एवं दिनांक 01–11–2014 से सरपंच एवं सचिव आगामी आदेश तक पट्टा जारी नहीं करें पट्टों के प्रमाणीकरण के सम्बंध में पंचायत समिति फलोदी के विकास अधिकारी ने पत्रांक 7177 दिनांक 28–05–2015 द्वारा अवगत कराया कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टों की दूसरी प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत

Scanned by CamScanner

नहीं की है जिससे पट्टों का प्रमाणीकरण नहीं किया गया है ग्राम पंचायत के रिकार्ड अवलोकन में दो पट्टा बहियां (बही नम्बर 4 व 5) सक्षम स्तर से जारी एवं प्रमाणित नहीं हुई है, उक्त पुनरीक्षण याचिका राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 में पुनरीक्षण (रिविजन) दायर करने की सीमा निर्धारित नहीं होने एवं जांच में होने से अन्दर म्याद पेश है, माननीय न्यायालय एवं पीठासीन अधिकारी को यह पुनरीक्षण याचिका सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है प्रार्थी की निगरानी से सम्बंधित अन्य आधार पर वक्त बहस निवेदन किये जायेंगे, अन्त में रिवीजन याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की निगरानीयां स्वीकार कर उपरोक्त सभी पट्टे निरस्त फरमावें।

निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किये जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महिपालसिंह चौहान ने वकालतनामा पेश किया अप्रार्थी सं. 2 बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

ग्राम पंचायत का मूल रिकार्ड प्राप्त होने पर बहस अन्तिम सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते बताया कि सरपंच ग्राम पंचायत मण्डलाकलां ने अपने चहेते लोगों को निगरानी पट्टे पंचायती राज नियमों व विधि की अवहेलना कर जारी किये गये है जिसकी शिकायत स्वयं विकास अधिकारी द्वारा की गई है अप्रार्थी सं. 2 अपने गलत पट्टों को लेकर विरोध स्वरूप न्यायालय में भी उपस्थित नहीं हुए है निगरानी में वर्णित अभिवचनों एवं ग्राम पंचायत रिकार्ड में की गई भारी अनियमितता से यह साबित है कि ये पट्टे विधि विरूद्ध तरीके से जारी किये है पट्टे अनियमित रूप से जारी हुए थे इसलिए पूर्व में भी इसी न्यायालय द्वारा काफी पट्टे खारिज किये जा चुके है ग्राम पंचायत ने कॉलोनी का कोई प्लान नहीं बनाया, न ही अनुमोदन करवाया, मास्टर प्लान भी नहीं बनाया, एक ही दिन में आवेदन लेकर एक ही दिन पट्टे गलत जारी कर दिये अनुसूचित जाति, जन जाति, गरीब वर्ग के लोगों को भी पट्टे नहीं दिये पट्टे विधि अनुसार जारी नहीं हुए है इसलिए हमारी निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं., 1 ने अपनी बहस में बताया कि पूर्व ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा निगरानी में वर्णित पट्टे बिना प्लान बनाकर अवैधानिक तरीके से जारी किये गये है इसलिए निगरानीयां स्वीकार कर पट्टे खारिज किये जाने पर वर्तमान का सरपंच ग्राम पंचायत को ऐतराज नहीं है। स्वयं अप्रार्थी सं. 1 वर्तमान सरपंच श्री ओमसिंह ने भी उपस्थित होकर बताया कि सभी पट्टे गलत एवं विधि विरूद्ध जारी किये गये है इसलिए निगरानी स्वीकार कर पट्टे खारिज फरमावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया और सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 निम्न प्रकार से है :–

धारा 97– राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन की शक्ति– राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्हीं भी कार्यवाहियों के सम्बंध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की अनियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को

Scanned by CamScanner

उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी, परन्तु राज्य सरकार किसी भी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं करेगी जब तक ऐसे पक्षकार को मामले में सुनवाई को युक्तियुक्त अवसर न मिल गया हो। अप्रार्थी सं. 2 को निगरानी प्रार्थना पत्र के नोटिस भेजे गये, लेकिन सभी अप्रार्थी सं. 2 बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं आये है।

अप्रार्थी सं. 2 को निगरानी प्रार्थना पत्र के नोटिसेज भेजे गये लेकिन सभी अप्रार्थी सं. 2 बावजूद नोटिस न्यायालय में उपस्थित नहीं आये अर्थात अप्रार्थी पक्षकारान को युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया है।

हमनें राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अध्याय 9 पंचायत की स्थावर समितियों के संरक्षण, विक्रय, विनियमीतीकरण, आवंटन आदि के बारे में नियमों का अध्ययन किया।

नियम 140 आबादी भूमि – आबादी भूमि से किसी पंचायत सर्किल के बसे हुए क्षेत्रों के भीतर पड़ने वाली नजूल भूमि अभिप्रेत है जो राज्य सरकार के किसी आदेश के द्वारा अधीन किसी पंचायत में निहित हो या निहित की गई या उसके निवर्तनाधीन रखी गई हो।

नियम 141– भूमि का विक्रय

नियम 142– योजना का तैयार किया जाना (ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का सहायक नगर आयोजनाकार द्वारा प्लान अनुमोदन)

नियम 143– आबादी क्षेत्र में भूखण्डों का निलाम किया जाना

नियम 144– भूमि पट्टी का आवंटन

इसी तरह नियम 145 से 155 तक निलामी प्रक्रिया का उल्लेख है।

नियम 156– प्राइवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अंतरण

नियम 157– पुराने गृहों का विनियमीतीकरण

पट्टा से सम्बंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे ग्राम पंचायत मण्डलाकलां द्वारा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि और नजूल भूमि का प्लान नहीं बनाने, टाउन प्लानर से प्लान बनाकर अनुमोदन नहीं करने और बी.पी.एल. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के परिवारों की सूची बनाकर प्रार्थना पत्र नहीं लेने और आबादी भूमि में अवस्थित गृहों/मकानों का नियमानुसार विनियमीतीकरण करना नहीं पाया जाता है साथ ही आबादी भूमि में भविष्य में सरकारी योजनाओं में सरकारी कार्यालय बनाने हेतु भूमि सुरक्षित भी नहीं रखी गई है इतना ही नहीं नियमानुसार पट्टा जारी करने से पहले आवेदन लेकर सभी आवेदनों पर वार्ड पंचों की कमेटी द्वारा प्रत्येक आवेदन पर मौका नक्शा बनाकर अपनी सिफारिश अभिशंषा रिपोर्ट भी

Scanned by CamScanner

विधिनुसार नहीं दी गई और न ही राजस्व पटवारी द्वारा सीमा ज्ञान करवाकर तदनुसार खाली भूमि का प्लान भी नहीं बनाया गया है उक्त पट्टों के लिए ग्राम पंचायत की किसी भी कमेटी का गठन नहीं किया गया, न ही राज्य सरकार के निर्देशानुसार आबादी भूमि का मास्टर प्लान बनाया गया अनुसूचित जाति, जन जाति, गरीब, पिछड़े वर्ग के लिए भूखण्ड आरक्षित किये गये, न ही उक्त पट्टों का ग्राम पंचायत द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 142 में योजना का तैयार किया जाना वर्णित किया गया है उक्त नियम 142 की सम्पूर्ण पालना नहीं की गई नियम 143 से नियम 158 की भी पालना नहीं की गई इसलिए तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा विलेख प्रारूप 23–ख व 23–ग में जारी किये गये है उक्त पट्टे पंचायती राज नियमों के अनुकूल जारी नहीं किये जाने पाये जाते हैं, उक्त पट्टे जारी किया जाना अवैध व शून्य है जिसमें विधिवत प्रक्रिया का सम्पूर्ण अभाव रहा है उपरोक्त विचारण एवं अवलोकन से प्रार्थी की निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते हैं अप्रार्थी सं. 2 के नाम से उपरोक्त निगरानी में वर्णित, तत्कालीन ग्राम पंचायत मण्डलाकलां द्वारा वर्ष 2014 में जारी पट्टे निरस्त करने योग्य पाये जाते हैं।

आदेश

प्रार्थी की उपरोक्त निगरानी विधिसम्मत होने से स्वीकार की जाती है सरपंच ग्राम पंचायत मण्डलाकलां द्वारा वर्ष 2014–15 में अप्रार्थी सं. 2 के नाम से जारी पट्टों के विरूद्ध विचाराधीन निगरानी सं. 111/2017, 114/2017, 115/2017, 116/2017, 117/2017, 121/2017, 122/2017, 123/2017, 124/2017, 126/2017, 129/2017, 130/207, 133/2017, 136/2017, 137/2017, 138/2017, 139/2017, 144/2017, 146/2017, 150/2017 में अप्रार्थी सं. 2 के नाम जरिये मिसल सं. क्रमशः 188 पट्टा सं. 20, मिसल सं. 290 पट्टा सं. 35, मिसल सं. 291 पट्टा सं. 36, मिसल सं. 292 पट्टा सं. 37, मिसल सं. 29 पट्टा सं. 46, मिसल सं. 96 पट्टा सं. 55, मिसल सं. 85 पट्टा सं. 54, मिसल सं. 239 पट्टा सं. 37, मिसल सं. 227 पट्टा सं. 45, मिसल सं. 246 पट्टा सं. 48, मिसल सं. 118 पट्टा सं. 01, मिसल सं. 62 पट्टा सं. 04, मिसल सं. 121 पट्टा सं. 28, मिसल सं. 274 पट्टा सं. 19, मिसल सं. 305 पट्टा सं. 73, मिसल सं. 294 पट्टा सं. 39, मिसल सं. 295 पट्टा सं. 40, मिसल सं. 28 पट्टा सं. 72, मिसल सं. 285 पट्टा सं. 30, मिसल सं. 289 पट्टा सं. 34 दिनांक 7–10–2014 एतद्द्वारा खारिज किये जाते है ग्राम पंचायत का मूल रिकार्ड लौटाया जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31/5/2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
फलोदी

Scanned by CamScanner